

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, खगड़िया।

पत्रांक :- ५०० (अनु०) खगड़िया/ दिनांक :- २८-०५-२०२२

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता,
पथ निर्माण विभाग,
पथ प्रमण्डल, खगड़िया।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला सामान्य शाखा,
खगड़िया।

विषय :-

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, बरौनी (रिटेल) (H.P.C.L), द्वितीय तल, रघुनाथ पैलेस, हर हर महादेव चौक, एन०एच०-३१, बेगूसराय द्वारा खगड़िया जिला अन्तर्गत, मौजा-भदास, थाना-अलौली, खाता न०-१००८, प्लॉट न०-३५८६, में रिटेल आउटलेट की स्थापना के संबंध में।

प्रसंग :-

आपका पत्रांक-IV-54/2020-105/ जी०, दिनांक-०६.०२.२०२०, मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना का पत्रांक-३७१(अनु०) दिनांक-२४.०३.२०२२ एवं अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा का पत्रांक-४६१(अनु०) दिनांक-१३.०४.२०२२

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के आलोक में मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा के प्रासंगिक पत्र द्वारा पथ प्रमंडल खगड़िया अन्तर्गत मौजा-भदास, थाना-अलौली, खाता न०-१००८, प्लॉट न०-३५८६ में रिटेल आउटलेट की स्थापना करने हेतु पथ निर्माण विभाग की भूमि को पहुँच पथ के रूप में विकसीत कर व्यवहार करने हेतु ०५ (पाँच) वर्षों के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र विभागीय निदेश (पत्रांक-४७७० (ई०) दिनांक-२४.०८.२०१७) तथा संकल्प ज्ञापांक-१९२१(५) दिनांक-०८.०३.२०१८ के आलोक में निम्न शर्तों पर प्रदान की गयी है :-

- i. भविष्य में यदि आवेदक द्वारा प्रस्तावित स्थल के संबंध में दी गई सूचना में कोई त्रुटि पाई जाती है, तो यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
- ii. पेट्रोल पम्प के अनुमोदित नक्शा की एक प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल में लौटाई जाती है।
- iii. प्रत्येक ५ वर्ष के बाद रिटेल आउटलेट का नवीकरण कराना अनिवार्य होगा।
- iv. विभागीय पत्रांक-४७७०(ई) दिनांक-२४.०८.२०१७ के कंडिका-६ का अनुपालन दृढ़ता से सुनिश्चित किया जाएगा।
- v. रिटेल आउटलेट के Boundary से पथ के Centre Line से दूरी Minimum १२ मी० रखना सुनिश्चित किया जाएगा।

अतः मुख्य अभियंता, सीमांचल उपभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना एवं अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ अंचल, सहरसा के प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति एवं अनुमोदित नक्शा मूल में एक प्रति इस पत्र के साथ संलग्न करते हुए अग्रतर कार्रवाई हेतु समर्पित की जाती है।

विश्वासभाजन

अनु० :- यथोक्त।

28/5/22
कार्यपालक अभियंता
पथ निर्माण विभाग
पथ प्रमण्डल, खगड़िया।